UPMI010032702026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 1, मीरजापुर।

उपस्थित : संतोष कुमार गौतम, एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1136/2026

भागीरथी मौर्या, पुत्र श्री रामपति मौर्या, निवासी महकुचवा का चौराहा, राजपुर, पोस्ट राजपुर, आमघाट, जनपद मीरजापुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य व अन्य .....अभियोजन

मु0अ0सं0 –351/2025
धारा–319(2),318(4),338,336(3),
340(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–को0 कटरा, जनपद मीरजापुर।

दिनांक 16.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त भागीरथी मौर्या द्वारा, जमानत प्रार्थनापत्र, मु0अ0सं0–351/2025, अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3) व 340(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली कटरा, जनपद मीरजापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है जो शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अनूप कुमार दूबे द्वारा दिनांक 11.11.2025 को थाना कोतवाली कटरा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि ''प्रार्थी कुरकुठिया, सण्डवा, मीरजापुर का रहने वाला है। विपक्षीगण 1. भागीरथी मौर्या पुत्र रामपति मौर्या निवासी मुंह कुचवा 2. संतोष कुमार निवासी सिविल लाइन, प्रयागराज 3. अमित कुशवाहा, निवासी नैनी, प्रयागराज 4. श्यामकुमारी पत्नी भागीरथी मौर्या, निवासी मुंहकुचवा, मीरजापुर 5. कृष्णा प्रकाश पुत्र भोला मौर्या, निवासी मुँहकुचवा, आमघाट रोड, मीरजापुर का एक संगठित गिरोह है, जिसके द्वारा सिटी म्युचुअल बेनेफिट इंडिया लिमिटेड के नाम से फर्जी फाइनेन्स कंपनी बनाकर इस नाम के इलेक्ट्रॉनिक रूप से फर्जी एवं कूटरचित बांड तैयार कर लोगों को छलपूर्वक बांड बेचकर उनसे नियत तिथियों पर किस्त जमा कराकर फर्जी कूटरचित रसीद देकर यह आश्वासन दिया गया कि परिपक्वता धनराशि दिये जाने का आश्वासन दिया गया। विपक्षीगण द्वारा मुझ प्रार्थी से धोखाधड़ी करते हुये माह सितम्बर, 2024 तक धनराशि उक्त फर्जी कम्पनी में जमा कराया गया। अब जबकि उक्त कंपनी के लोगों द्वारा दिया गया बाण्ड की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर मै प्रार्थी कम्पनी के बरौंधा कचार स्थित शाखा में अपना भुगतान लेने के लिये पहुँचा तो वहां पर ताला बन्द देखकर मैं आस–पास के लोगों से जानकारी ली गयी तो पता चला कि उक्त कम्पनी के लोग कई महीनों से कम्पनी में ताला बन्द कर कम्पनी छोड़कर भाग गये हैं। मेरी तरह कम्पनी में बहुत लोग पैसा जमा करने वाले व्यक्ति अपना जमा धनराशि पाने के लिए इधर–उधर भटक रहे हैं। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करते हुये उपरोक्त विपक्षीगण से प्रार्थी का जमा धनराशि वापस दिलाने की कृपा करें।''

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी उक्त कथित कंपनी का चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक है और शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से कार्पोरेट

धोखाधड़ी व वाणिज्यिक विवाद की प्रकृति के हैं। प्रार्थी को स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त वर्णित मनगढन्त व झूठी प्राथमिकी संख्या 854/2025 थाना रावर्ट्सगंज, सोनभद्र में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी पूरी तरह से निर्दोष है और शिकायतकर्ता अनूप कुमार दुबे द्वारा व्यावसायिक विफलता से उपजे आक्रोश के कारण प्रार्थी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस मामले में मुख्य अभियुक्त के रूप में नामजद किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध दर्शाए गए अधिकांश मामले एक ही वित्तीय संस्थान ''सिटी म्युचुअल बेनेफिट इण्डिया लिमिटेड'' के बन्द होने के कारण विभिन्न निवेशकों द्वारा पैनिक में दर्ज कराए गए समरूप मामले हैं, जो विधिक रूप से एक ही लेन–देन की श्रेणी में आते है। यह भी तर्क किया गया है कि स्थानीय पुलिस और विवेचना अधिकारी द्वारा वर्तमान प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व कथित निवेश के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भौतिक या विधिक सत्यापन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए कथित बाण्ड की सत्यता, उसकी वैधता तथा उसकी परिपक्वता अवधि की कोई तकनीकी या विभागीय जॉच नहीं की गयी है। पुलिस द्वारा यह भी जॉच नहीं की गयी थी कि कथित बाण्ड वास्तव में प्रार्थी की कंपनी द्वारा जारी किए गए थे या वे कूटरचित हैं। बिना किसी बैंक रिकार्ड, खाता विवरण या वित्तीय आडिट रिपोर्ट के मिलान के, केवल शिकायतकर्ता के निराधार आरोपों के आधार पर सीधे मुकदमा पंजीकृत कर प्रार्थी को जेल भेज दिया गया, जो कि पुलिस रेगुलेशन और कानून की स्थापित प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन है, अतः प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' तथा वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. जमानत प्रार्थना पत्रों पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से वादी मुकदमा एवं अन्य निवेशकों के प्रति छल कारित करते हुए बेईमानी से अभियुक्त द्वारा संचालित निवेश उपक्रम को एक बड़ी धनराशि परिदत्त किये जाने हेतु उत्प्रेरित कर उनसे प्राप्त धनराशि के दुर्विनियोग का अभियोग लगाया गया है। हस्तगत मामले के प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक मामले का नामजद अभियुक्त है। स्थानीय थाने द्वारा प्रेषित प्रस्तरवार आख्या व प्रकरण दैनिकी के साथ संलग्न आवेदक/अभियुक्त द्वारा संचालित उपक्रम द्वारा विभिन्न निवेशकों को निर्गत प्राप्ति रसीद की छायाप्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त उपक्रम द्वारा प्राप्त धनराशि के साथ परिपक्वता की तिथि उल्लिखित करते हुए निवेशकों को प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया। परिपक्वता अवधि के उपरान्त उक्त उपक्रम द्वारा निवेशकों को परिपक्व धनराशि अदा न किया जाना प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त की मामले में संलिप्तता को दर्शाता है। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने निवेशकों को अदा किये गये धनराशि की सूची प्रस्तुत की गयी है, परन्तु उनके द्वारा अदा किये गये अभिकथित धनराशि उनकी ओर से निर्गत किस प्रमाण–पत्र के सापेक्ष अदा की गयी, इसका कोई उल्लेख उक्त सूची में उल्लिखित नहीं है। छोटे–छोटे निवेशकों की कड़ी मेहनत से अर्जित किये गये उनकी धनराशि का बांड की परिपक्वता के उपरान्त भी उन्हें आवेदक/अभियुक्त द्वारा संचालित उपक्रम द्वारा अदा न किया जाना आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। मामले की विवेचना प्रचलित है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

फौजदारी लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की एक प्रति जरिए ई–मेल जिला कारागार मीरजापुर अविलम्ब प्रेषित करें।

इस आदेश के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में संप्रेक्षण, यदि कोई हो तो, मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे संप्रेक्षण मात्र प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से किये गये हैं।

दिनांकः–16.07.2026

(संतोष कुमार गौतम)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 1
मीरजापुर।
J O.Code - UP2396